

मु० नम्बर.....किस्म.....

उजवान.....

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन सिटी

दिनांक

फर्द अहकाम

23/1/25 पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवण
दिलाने के उपरान्त भी सामलान एवं उनके अधिकार
उपस्थित नहीं हुए। इसलिए मु० नं. 726/2020
उनकी श्रीमती रामपति वगै० वनाम धनराम की
प्रा० पत्र अस्वाधी निषेधाज्ञा अदम्य दायरे पर
पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली केसल
कुमार होकर नाद हमील नम्बर से कम की
जाकर मूल दावा के साथ शामिल मिलत है।
आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया